A 2/1

FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी :–

सरकार दीपसिंह वगैरह

प्रकरण संख्या :: 157 /2022

(जी0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2022/359)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.11.2022	अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत पेश कर पुलिस थाना रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 311/2022 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 4(एफ) (एच)7(i)(ii) पेट्रोलियम अधिनियम व 379,420,285 भादस में जब्तशुदा वाहन थ्री व्हीलर टैक्सी नम्बर RJ-19 GG-6325 को सुपुर्दगीनामें एवं जमानत पर रिलीज किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25-11-22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, पाली	
25-11-22	प्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि पुलिस थाना रोहट के प्रकरण संख्या 311/2022 अन्तर्गत धारा धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 4(एफ) (एच)7(i)(ii) पेट्रोलियम अधिनियम व 379,420,285 भादस में जब्तशुदा वाहन थ्री व्हीलर टैक्सी नम्बर RJ-19 GG-6325 वास्ते सबूत अपने कब्जे में ले रखा है जिसकी पुलिस अनुसंधान में आवश्यकता नही है। उक्त वाहन खुले में पड़ा है जिसके कारण वाहन के रंग रोगन एवं मशीनरी के खराब होने का अन्देशा बना हुआ है। प्रार्थी प्रकरण के निस्तारण नही होने तक उक्त वाहन को बेचान, हस्तान्तकरण, रद्वोबदल या खुर्द बुर्द नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त वाहन को प्रार्थी अपने खर्चे से कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। इसलिए उक्त वाहन को जमानत व सुपुर्दगीनामें पर रिलीज कर प्रार्थी को सुपुर्द कराने के आदेश प्रदान करावे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा वाहन थ्री व्हीलर टैक्सी नम्बर RJ-19 GG-6325 इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि प्रार्थी 500000/– रूपये की जमानतनामा मय शपथ पत्र पेश करे की प्रकरण के निस्तारण नही होने तक उक्त वाहन को बेचान, हस्तान्तरण, रदोबदल या खुर्द बुर्द नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त वाहन को कोर्ट में अपने खर्चे से प्रस्तुत करेगा। इस पर प्रार्थी श्री सुरेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री लुणाराम जाति प्रजापत निवासी संतो का बास कुम्हारो की गली मोगड़कंला तह.लूणी जिला जोधपुर ने सुपुर्दगीनामा एव 500000/–(अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) की जमानतनामा मय शपथपत्र पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया जावे एवं थानाधिकारी रोहट के नाम तहरीर जारी हो कि जब्तशुदा वाहन थ्री व्हीलर टैक्सी नम्बर RJ-19 GG-6325 का किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नही होने पर वाहन स्वामी श्री सुरेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री लुणाराम को बएवज रसीद सुपुर्द किया जावे। प्राप्ती रसीद इस न्यायालय को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर कम हो। अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,पाली	